IWMP
परिपत्र क्र.9

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

क्र. /22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/10 भोपाल, दिनांक /11/10

प्रति,

कलेक्टर,
मिशन लीडर – राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
जिला – समस्त

विषय :एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुशांगिक गतिविधियों की आयोजना व कार्यान्वयन के संबंध में।

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :

1.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के नाम से प्रारंभ नवीन योजना भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग तथा राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित है।

1.3 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की कार्यनीति **''ग्रामीणों की सहभागिता''** पर आधारित है तथा लिये जाने वाले कार्यों में मिट्टी व पानी के संरक्षण, वानस्पतिक आवरण के विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ौत्तरी तथा आजीविका उन्नयन के कार्य शामिल हैं। अतः इन परियोजनाओं में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने और लिये जाने वाले कार्यों की सुचारू तथा गुणवत्ता पूर्ण आयोजना, कार्यान्वयन, जनित संसाधनों व सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के प्रबंधन व रख रखाव के लिए राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक परियोजना में शामिल विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों और ग्रामीणों की क्षमता निर्माण (Capacity Building) भी महत्वपूर्ण संघटक है, ताकि IWMP के उद्देश्यों के अनुरूप वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सके।

1.4 उक्त के अनुक्रम में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुशांगिक गतिविधियों की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में यह दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन निर्देशों के अनुरूप क्षमता निर्माण के विभिन्न कार्यकलापों का परिणाममूलक सम्पादन करायें।

2. **<u>क्षमता निर्माण की कार्यनीति के मुख्य घटक</u> : –**

2.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण प्रबंधन परियोजनाओं के विभिन्न साझेदार (Stakeholder) की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुशांगिक गतिविधियों की आयोजना और कार्यान्वयन कार्यनीति के निम्नानुसार प्रमुख घटकों को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा :–

2.1.1 कार्यक्रम की अवधारणा, कार्यनीति और कार्यप्रणाली तथा परियोजनाओं के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यों व इनसे प्राप्त होने वाले परिणामों के दृष्टिगत कार्यान्वयन एजेंसियों तथा ग्रामीणों के स्तर पर परियोजना के विभिन्न साझेदारों की पहचान करना (प्रमुख साझेदार वाटरशेड डवेलेपमेंट टीम के सदस्य, उपयोगकर्ता समूहों के सदस्य, स्व सहायता समूहों के सदस्य, वाटरशेड समितियों के सदस्य व पदाधिकारी तथा ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे)। इन साझेदारों की क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं का आकलन (Capacity Building & Training Need Assessment) करना ।

2.1.2 क्षमता निर्माण की उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विषय–वस्तु निर्धारित करते हुये यथोचित प्रशिक्षण कार्यक्रम व प्रशिक्षण मॉडयूल डिजाइन करना अथवा अन्य अनुशांगिक गतिविधि जैसे दिशाबोधक भ्रमण, सकेन्द्रित समूह चर्चा (Focused Group Discussion) इत्यादि निर्धारित करना

2.1.3 डिजाईन किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रभावी पाठ्य सामग्री विकसित करना तथा इसी तरह अनुशांगिक गतिविधियों हेतु अवयवों का निर्धारण करना

2.1.4 प्रशिक्षण कार्यों के लिये समर्पित विषय विशेषज्ञों/प्रशिक्षकों और अनुशांगिक गतिविधियों हेतु स्त्रोत व्यक्तियों का चयन करना। (विषय विशेषज्ञों/प्रशिक्षकों/

स्त्रोत व्यक्तियों का चयन जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के विभिनन अवयवों/कार्यों से संबंधित विभागों (उदाहरण स्वरूप कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, ग्रामोधोग विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशु पालन विभाग इत्यादि), अकादमिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों, (उदाहरण स्वरूप कृषि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयं सेवी संगठन इत्यादि), प्रगतिशील ग्रामीणों इत्यादि में से किया जा सकता है।)

2.1.5 प्रशिक्षण कार्यों और अनुशांगिक गतिविधियों हेतु विभिन्न अकादमिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों तथा समर्पित संगठनों का सहयोग लेना और उनसे समन्वय करना।

2.1.6 क्षमता निर्माण कार्यों हेतु वार्षिक बजट/आयोजना तैयार करना ।

2.1.7 वार्षिक बजट/आयोजना को ध्यान में रखते हुये विभिन्न साधन/संसाधन की समुचित व्यवस्था कर और उपयुक्त पद्धति का उपयोग कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुशांगिक गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन करना। ध्यान रहे कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अधिकांश साझेदार वयस्क श्रेणी के हैं। अतः इनकी क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु यथासंभव सहभागी और रूचिकर पद्धति का उपयोग श्रेस्यस्कर होगा। ऑन साइट प्रशिक्षण (उदाहरण स्वरूप सफल क्षेत्रों का दिशाबोधक अवलोकन) भी सहयोगी होंगे।

2.1.8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुशांगिक गतिविधियों की निगरानी और अनुश्रवण करना।

3. **<u>क्षमता निर्माण के कार्यों की निष्पादन प्रणाली :</u>**

3.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के साझेदारों की क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य अनुशंगिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु निम्नानुसार कास्केड प्रणाली अपनाई जाये :–

3.1.1 **जिला स्तर पर** :– जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी की वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के सदस्यों के क्षमता निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण

कार्यक्रमों और अनुशांगिक गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों की आयोजना व कार्यान्वयन जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर द्वारा किया जायेगा।

3.1.2 **परियोजना स्तर पर** :– परियोजना स्तर पर ग्राम पंचायतों, उपयोगकर्ता समूहों, स्व सहायता समूहों, वाटरशेड समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों हेतु आवश्यकतानुसर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुशांगिक गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों की आयोजना व कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी व वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के प्रशिक्षित सदस्यों अथवा वाटरशेड समितियों के प्रशिक्षित पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा किया जायेगा। उपयोगकर्ता समूहों और स्व सहायता समूहों की क्षमता निर्माण हेतु यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है तो यह कार्यक्रम संबंधित ग्राम में ही आयोजित किये जायें। वाटरशेड समितियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 5 से 10 माइक्रोवाटरशेड के क्लस्टर के किसी एक ग्राम में अथवा संबंधित विकास खण्ड में आयोजित किये जायें।

3.2 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के साझेदारों की क्षमता निर्माण एक सतत् प्रक्रिया होगी, जिसके लिये केवल एक बार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर्याप्त नहीं होगा। अतः परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रावधानित कार्यकलापों के निष्पादन के साथ–साथ परियोजना के लक्षित साझेदारों की क्षमता निर्माण के लिए भी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य अनुशंगिक गतिविधियों का गुणवत्तापूर्ण और परिणाममूलक कार्यान्वयन आवश्यक होगा तथा इसके लिए वाटरशेड डेवलपमेंट टीम और जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को सदैव सचेत रहना होगा।

4. <u>क्षमता निर्माण के प्रमुख विषय और बुनियादी मॉड्यूल/कार्यक्रम</u> :–

4.1 यद्यपि एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों और ग्रामीणों के स्तर पर विभिन्न साझेदारों की क्षमता निर्माण के विषयों का निर्धारण इन साझेदारों की वर्तमान क्षमता और कार्यक्रम की अवधारणा, कार्यप्रणाली व

लिये जाने वाले कार्यों के दृष्टिगत क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर होगा, परन्तु प्रत्येक परियोजना के स्तर पर निम्नानुसार प्रमुख विषयों पर क्षमता निर्माण आवश्यक होगाः–

4.1.1 ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य तथा ग्रामीण आजीविका के परिप्रेक्ष्य में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आवश्यक और ग्रामीणों में इसकी ग्राह्यता

4.1.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की जनसहभागिता आधारित कार्यप्रणाली

4.1.3 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के विभिन्न अवयवों तथा मिट्टी व पानी का संरक्षण, वानस्पतिक विकास, कृषि उत्पादन में बढोतरी, आजीविका उन्नयन और लघु उद्यम कार्यों के विकल्पों की गुणवत्तापूर्ण कार्य योजना, प्रक्रिया अनुसार स्वीकृतियां और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन। इस हेतु तकनीकी मानदण्डों का अनुपालन, वित्तीय प्रबंधन, लेखा तथा रिकार्ड संधारण

4.1.4 ग्रामीणों के विविध सामुदायिक संगठन व जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के विभिन्न चरणों नामतः आयोजना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव में उन्हें सौंपे गये दायित्वों का प्रभावी निर्वहन। इस हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों व ग्राम स्तरीय अन्य संगठनों से समन्वय

4.1.5 जनित होने वाले संसाधनों और सृजित होने वाली संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का प्रबंधन, रख रखाव तथा इनसे प्राप्त होने वाले लाभों का वितरण

4.1.6 जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों का आजीविका उन्नयन के अन्य कार्यों से लिकेंज स्थापित करना विशेषकर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए

4.1.7 लघु उद्यमों तथा स्वसहायता समूहों हेतु आयमूलक कार्यों के बैकवर्ड व फारवर्ड लिंकेंज

4.1.8 अन्य विकास कार्यक्रमों से अभिसरण

4.1.9 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की कार्यप्रणाली, विभिन्न अवयवों और कार्यों का सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

4.2 उपरोक्तानुसार प्रमुख विषयों के दृष्टिगत एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों और ग्रामीणों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यों और अनुशांगिक गतिविधियों हेतु कतिपय **''बुनियादी मॉड्यूल/कार्यक्रम''**

अभिकल्पित किये गये हैं, जिनका विवरण **अनुलग्नक–1** में दर्शाया गया है। प्रत्येक जिला वाटरशेड सह डाटा सेन्टर एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी इन **''बुनियादी मॉड्यूल/कार्यक्रम''** को आवश्यकता अनुसार परिवर्धित कर क्षमता निर्माण हेतु सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यों और अनुशांगिक गतिविधियों की आयोजना तैयार कर कार्यान्वयन करायें।

5. <u>क्षमता निर्माण के कार्यों हेतु वित्तीय व्यवस्था</u> :–

5.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के साझेदारों की क्षमता निर्माण के लिये धनराशि की व्यवस्था संबंधित परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध **''परियोजना निधि''** के **''संस्थापन एवं क्षमता निर्माण''** मद से की जा सकेगी। इस मद के अंतर्गत धनराशि की मांग, धनराशि जारी किये जाने व उपयोग के संबंध में IWMP के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी **परिपत्र क्रमांक–4** (जावक क्रमांक–12865/22/वि–9/आरजीएम दिनांक 20.09.10) में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। क्षमता निर्माण हेतु राशि की मांग करते समय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को परिपत्र–4 के अनुलग्नक–3 के साथ–साथ इस परिपत्र के साथ संलग्न **अनुलग्नक–2** में भी विवरण तैयार कर **''वार्षिक बजट/आयोजना प्रस्ताव''** जिला वाटरशेड सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना होगा। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर क्षमता निर्माण के इस वार्षिक बजट/आयोजना प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त परिपत्र–4 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी करेगा। इस मद की राशि उपयोग हेतु प्रयोजन संबंधी अन्य प्रावधान परिपत्र–4 के अनुसार ही यथावत रहेंगे। अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

6 <u>क्षमता निर्माण के कार्यों का अनुश्रवण</u> :–

6.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुशांगिक गतिविधियों की सतत् निगरानी एवं अनुश्रवण भी किया जाये, ताकि परियेाजना के उददेश्यों के अनुरूप

परिणाम की प्राप्ति हेतु परियोजना के साझेदारों के ज्ञान व कौशल में अपेक्षित उन्नयन और क्षमता निर्माण का आकलन किया जा सके।

6.2 परियेाजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले क्षमता निर्माण कार्यों के अनुश्रवण का दायित्व जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर का होगा। इसके लिए जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर के सदस्य प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादित किये जा रहे क्षमता निर्माण कार्यों में से कम से कम दो कार्यों/कार्यक्रमों का प्रत्येक त्रेमास में अनुश्रवण अनिवार्यतः करेंगे। इस दौरान निम्न बिन्दुओं का विशलेषण आवश्यक होगाः–

6.2.1 क्षमता निर्माण हेतु निर्धारित की गई विषयवस्तु की उपयुक्तता

6.2.2 क्षमता निर्माण हेतु उक्त विषयवस्तु के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित कार्य (उदाहरणस्वरूप प्रशिक्षण अथवा दिशाबोध भ्रमण इत्यादि) की उपयुक्तता

6.2.3 चयनित स्त्रोत व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ की उपयुक्तता

6.2.4 प्रशिक्षण सामग्री तथा पाठ्य सामग्री की उपयुक्तता

6.2.5 संदर्भ साहित्य

6.2.6 लक्षित हितग्राहियों/साझेदारों की उपस्थिति

6.2.7 क्षमता निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अपनाई गई पद्धति

6.2.8 क्षमता निर्माण कार्य का वास्तविक कार्यान्वयन

6.2.9 हितग्राहियों/साझेदारों के कौशल उन्नयन का स्तर तथा उनमें कार्यक्रम के प्रति संतुष्टि का स्तर

6.3 जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर के अनुश्रवणकर्ता सदस्य द्वारा **अनुलग्नक–3** में दर्शाये गये प्रपत्र अनुसार अनुश्रवण किये गये क्षमता निर्माण कार्यों की रिपोर्ट तैयार की जायेगी। अनुश्रवण रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से जिला कलेक्टर /मिशन लीडर को प्रस्तुत की जायेगी। अनुश्रवण के आधार पर निष्पादित किये जा रहे क्षमता निर्माण कार्यों में यदि कोई सुधार अथवा परिवर्तन की आवश्यकता है तो तत्संबंध में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर द्वारा संबंधित वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम के टीम लीडर को आवश्यक अनुशंसाये करते हुये अवगत कराया जायेगा। कालान्तर में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर यह भी विश्लेषित

करेगा कि वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम ने क्षमता निर्माण कार्यों में पूर्व में उनके द्वारा अनुशंसित सुधार लागू किये हैं या नहीं। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर द्वारा क्षमता निर्माण मद में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को आगामी किश्त की राशि जारी करते समय अनुश्रवण रिपोर्ट और की गई अनुशंसाओं के अनुपालन का भी ध्यान रखा जायेगा।

6.4 परियेाजना कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा क्षमता निर्माण कार्यों के संबंध में वार्षिक बजट /आयेाजना में प्रस्तावित कार्यों में से निष्पादित कार्यों की कार्यवार विस्तृत रिपोर्ट अपने स्तर पर अनिवार्यतः संधारित की जायेगी, जिसमें निम्न बिंदुओं पर विवरण शामिल होगाः–

6.4.1 क्षमता निर्माण के निष्पादित कार्य तथा इसकी विषयवस्तु

6.4.2 निष्पादित कार्य की अवधि/स्थान

6.4.3 कार्य निष्पादन हेतु उपयोग किये गये स्त्रोत व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ

6.4.4 कार्य निष्पादन हेतु अपनाई गई पद्धति

6.4.5 उपस्थित हितग्राहियों/साझेदारों की हस्ताक्षर सहित सूची,

6.4.6 वितरित क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण सामग्री तथा पाठ्य सामग्री की एक प्रति

6.4.7 वितरित संदर्भ साहित्य

6.4.8 मदवार व्यय राशि

कृपया उक्त निर्देशों के अनुरूप एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं की साझेदार कार्यान्वयन एजेंसियों तथा ग्रामीणों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुशांगिक गतिविधियों की आयोजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित कराये।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. /22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक /11/10

प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचंचायत– समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पी.आई.ए. द्वारा क्षमता निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राशि की मांग के लिये परिपत्र–4 के अनुलग्नक–3 के साथ संलग्न किया जाने वाला वार्षिक आयोजना का विवरण

1. जिला :
2 परियोजना क्रमांक तथा नाम :
3 विकास खण्ड :
4. परियोजना अवधि :
5. क्षमता निर्माण कार्यों का विवरण :

क्र.	क्षमता निर्माण हेतु निर्धारित विषय वस्तु	निर्धारित विषय वस्तु के संदर्भ में क्षमता निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तावित माह और वर्ष	प्रस्तावित कार्य के निष्पादन हेतु वांछित अवधि (दिवसों में)	कार्य निष्पादन हेतु प्रस्तावित पद्धति/विधि (डेमोस्ट्रेशन/ केस स्टडी/व्याख्यान/ प्रश्नोत्तरी/दिशा बोधक भ्रमण /ऑन साइट प्रशिक्षण इत्यादि)	लक्षित हितग्राही (उपयोगकर्ता /स्वसहायता समूह /वाटरशेड समिति/अन्य)	लक्षित हितग्राहियों की संख्या	लक्षित हितग्राही से संबंधित गांव का नाम एवं माइक्रोवाटर शेड कोड नंबर	प्रस्तावित बजट/वांछित राशि				
									अधो–संरचना व्यवस्था	विषय विशेषज्ञ /स्त्रोत व्यक्ति	प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री	आवास एवं भोजन व्यवस्था	कुल
1													
2													
3													
4													

6. विषय विशेषज्ञों/स्त्रोत व्यक्तियों की टीम का विवरण :

क्र.	क्षमता निर्माण के प्रस्तावित कार्य की विषयवस्तु	विषय विशेषज्ञ/स्त्रोत व्यक्तियों का विवरण		
		नाम	मूल विभाग/संस्थान/ संगठन का नाम व व्यक्ति का पदनाम	विषय विशेषज्ञता/अनुभव
1		1. 2. 3. 4. 5. 6.		
2.				

7. सहयोगी/समन्वयक अकादमिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण :

क्र.	क्षमता निर्माण के प्रस्तावित कार्य की विषयवस्तु	सहयोगी/समन्वयक अकादमिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों का नाम
1		1. 2. 3.

(टीम लीडर का नाम और हस्ताक्षर)

क्षमता निर्माण के कार्यों के अनुश्रवण का प्रपत्र

1. जिला :
2 परियोजना क्रमांक तथा नाम :
3 विकास खण्ड :
4. परियोजना अवधि :
5. अनुश्रवण किये गये क्षमता निर्माण कार्यों का विवरण :

क्र.	**गांव का नाम एवं माइक्रोवाटर शेड कोड नंबर जहां अनुश्रवण किया गया**	**अनुश्रवण किये गये कार्य की विषय वस्तु की उपयुक्तता पर टीप**	**निर्घारित विषय वस्तु के संदर्भ में चयनित क्षमता निर्माण कार्य की उपयुक्तता पर टीप**	**चयनित स्त्रोत व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ की उपयुक्तता पर टीप**	**प्रशिक्षण सामग्री तथा पाठ्य सामग्री की उपयुक्तता पर टीप**	**कार्य निष्पादन हेतु अपनाई गई पद्धति/विधि की उपयुक्तता पर टीप**	**क्या कार्यक्रम का निष्पादन वार्षिक आयोजना में प्रस्तावित माह तथा निर्धारित अवधि में किया गया है?**	**लक्षित हितग्राही (उपयोगकर्ता /स्वसहायता समूह /वाटरशेड समिति/अन्य)**	**लक्षित हितग्राहियों की उपस्थिति का प्रतिशत (वार्षिक आयोजना में प्रस्तावित संख्या के संदर्भ में)**	**क्षमता निर्माण के निष्पादित कार्य के फलस्वरूप हितग्राहियों में संतुष्टि का स्तर**
1										
2										
3										
4										

6. विषय विशेषज्ञों/स्त्रोत व्यक्तियों का विवरण, जिनकी सेवायें ली गई :

क्र.	क्षमता निर्माण के निष्पादित कार्य की विषयवस्तु	विषय विशेषज्ञ/स्त्रोत व्यक्तियों का विवरण		
		नाम	मूल विभाग/संस्थान/ संगठन का नाम व व्यक्ति का पदनाम	विषय विशेषज्ञता/अनुभव
1		1. 2. 3. 4. 5. 6.		
2.				

7. सहयोगी/समन्वयक अकादमिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण, जिनका सहयोग लिया गया :

क्र.	क्षमता निर्माण के निष्पादित कार्य की विषयवस्तु	सहयोगी/समन्वयक अकादमिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों का नाम
1		1. 2. 3.

हस्ताक्षर अनुश्रवणकर्ता :–

नाम :–

पद :–

जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर –

अनुलग्नक –

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों और ग्रामीणों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यों औ अनुशांगिक गतिविधियों हेतु कतिपय ''बुनियादी मॉड्यूल/कार्यक्रम''

वाटरशेड डेवलपमेंट टीम हेतु –

क्र.	मॉड्यूल क्रमांक व शीर्षक	विषय वस्तु	परियोजना अवधि का वर्ष जिसमें इस मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया जाना है
	WDT-1 **''प्रारंभिक दिशाबोध और आयोजना तथा कार्यान्वयन''**	1. वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति और कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण आजीविका पर पड़ रहे इसके प्रभाव का विश्लेषण 2. उक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में मृदा व जल संरक्षण, वानस्पतिक आवरण में विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ौतरी तथा आजीविका उन्नयन संबंधी कार्यों की आवश्यकता 3. मृदा व जल संरक्षण तथा वानस्पतिक आवरण में विकास के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए वाटरशेड का रिज–टू–वेली का वैज्ञानिक सिद्धांत और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनायें 4. संवहनीय ग्रामीण आजीविका हेतु जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आवश्यकता एवं महत्व और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के विकल्प और इनके कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले परिणाम/लाभ 5. एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) हेतु कॉमन वाटरशेड गाइड लाईन की विशिष्टतायें विशेषकर जनसहभागिता आधारित अवधारणा और कार्य नीति 6. एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के विभिन्न चरण और इनके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यकलाप 7. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने की प्रक्रिया और प्रणाली। डी.पी.आर. का अनुमोदन। अनुमोदित डी.पी.आर. के कार्यों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृतियां 8. एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत ग्राम स्तर के सामुदायिक संगठन नामतः उपयोगकर्ता समूह, स्वसहायता समूह तथा वाटरशेड समिति का गठन और इनके दायित्व 9. ग्रामीणों के समूह संचालन और क्रियाशीलता के सिद्धांत और प्रक्रियायें 10. एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण के मानक, विभिन्न मद और इसमें प्रावधानित प्रयोजनों/कार्यों तथा इन प्रयोजनों पर व्यय की अधिकतम सीमा, वित्तीय प्रबंधन और इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट टीम और वाटरशेड समिति की भूमिका तथा दायित्व 11. सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिए वाटरशेड समिति, उपयोगकर्ता समूहों और स्वसहायता समूहों और ग्राम पंचायत के साथ सहयोग तथा समन्वय	**प्रथम वर्ष**